# मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

**(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)**
**(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)**
**खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल**

क्र / 3826/ 22/वि–12/टी–8/रोड सेफ्टी/2017 भोपाल, दिनांक 01/06/2017

प्रति,

**महाप्रबंधक (समस्त)**
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई.................................
**जिला– .........................**

**विषय– प्रधानमंत्री ग्राम सड़को एवं अन्य मार्गो में सड़क सुरक्षा के संबंध में ।**

**संदर्भ–** एडीबी कार्य के पीआईसी मे. आईडीसी का पत्र कमांक IDC/MPRRDA/ADB-RCIP-II /14-15/L-033 भोपाल दिनॉक 1/05/2017

म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण के अंतर्गत एडीबी की सहायता से प्रगतिरत् आर.सी.आई.पी. कार्यो के प्रोजेक्ट इम्पलीटेंशन कंसलटेंट ( पीआईसी ) मेसर्स आईडीसी ,भोपाल द्वारा एडीबी आर.सी.आई.पी. बैच 6,7,8, के कुल 240 मार्गो का रोड सेफ्टी आडिट किया गया है। आडिट किए गये मार्गो की सूची संलग्न है। Road Safety Audit (RSA) रिपोर्ट संबंधित पीआईयू को कंसलटेंट आईडीसी द्वारा मार्ग निर्माण के दौरान अनुपालन हेतु उपलब्ध करायी गयी थी। मार्गो की सूची से संबंधित महाप्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके पीआईयू से संबंधित मार्गों मे RSA में इंगित बिंदुओ पर अनिवार्यतः पालन किया जाए। पीआईसी को इसकी पुष्टि करते हुए सूचित करें तथा मुख्यालय को भी अवगत कराएं।

रोड सेफ्टी आडिट में कई सामान्य बिंदु ऐसे भी है जो कि समस्त ग्रामीण सड़कों में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं । अतः समस्त पीआईयू को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न RSA report का अवलोकन कर पीआईयू के अंतर्गत आ रहे समस्त मार्गो में सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड़ सेफ्टी, नई दिल्ली द्वारा सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। इस बारे में प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा पूर्व में भी समय –समय पर कई पत्रो/मीटिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गये है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित आयटम का स्थल पर आवश्यकता के अनुसार आंकलन कर पहले से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। मार्ग की पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व सड़क सुरक्षा से संबंधित आयटम के कार्य समुचित / आवश्यकतानुसार कराए गए हैं कि नही , इसका परीक्षण एवं पुष्टि करने के उपरांत ही पूर्णत प्रमाण पत्र जारी करें। उपरोक्त निर्देश पीएमजीएसवाय, एडीबी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, एमपीआरसीपी, पोस्ट 5 ईयर/10 ईयर आदि संधारित मार्गो के लिए भी समुचित रूप से लागू होंगे।

**संलग्न :– उपरोक्तानुसार।**

( एम. के. गुप्ता ) 31/5
प्रमुख अभियंता
म.प्र.ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण
भोपाल

C:\Users\PRASHANT\Desktop\Hindi letter2011\letter 2014-15 (3) - Copy.doc

क्र 13827/ 22/वि–12/टी–8/रोड सेफ्टी/2017 भोपाल, दिनांक 01/05/2017

प्रतिलिपि :–1.समस्त मुख्य महाप्रबंधक ,म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अधीनस्थ पीआईयू के महाप्रबंधक को निर्देशित करें तथा स्थल निरीक्षण में सड़क सुरक्षा से संबंधित बिंदुओ को भी शामिल करें।

2.वित्तीय सलाहकार/परामर्शदाता म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, भोपाल ।

3. समस्त महाप्रबंधक (तक.) म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, भोपाल ।

4. प्रबंधक (आई.टी.) पत्र को बेबसाईट पर अपलोड करे।

प्रमुख अभियंता
म,प्र,ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण
भोपाल